न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 163/2021

अनवान मुकदमा –

1. सुशील कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी 9 एसटीबी झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. सुनील कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी 9 एसटीबी झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

-- वादीगण

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र फरसाराम जाति बिश्नोई निवासी 9 एसटीबी झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. विमला पत्नी विनोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी 9 एसटीबी झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

- - प्रतिवादीगण

–:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता	-- वादी
2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता	-- प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा	-- प्रतिवादी सं. 3

–:: निर्णय :–

दिनांक –23/02/22

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में अकिंत किया गया है। परिवार की वंशावली पेश की गई है।

वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 9 एसटीबी के प0न0 44/358(47) के कि0न0 1/1 ता 6/2, 7 ता 14, 15/1 ता 16/2, 17 ता 22 की कुल 5.556 है0 कमाण्ड मय गै0मु0 खाला खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 विनोद कुमार पुत्र श्री फरसाराम जाति बिश्नोई निवासी 9 एसटीबी झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के संलग्न की गई है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:39:45 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण का पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण के दादा फरसाराम से विरासतन में मिली है। जिसमें वादीगण का प्रतिवादी सं. 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि

23/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भूमि बाबत् वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। इस प्रकार वादीगण को मुताबिक घरू बंटवारा में तहसील पीलीबंगा के चक 9 एसटीबी के प0न0 44/358(47) के कि0न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 72 8, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 की कुल 2.520 है0 कमाण्ड मय गै0मु0 खाला खातेदारी कृषि भूमि बहिब प्राप्त हुई है व शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई है। वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

तहसील पीलीबंगा के चक 9 एसटीबी के प0न0 44/358(47) के कि0न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 72 8, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 की कुल 2.520 है0 कृषि भूमि ब.हि.ब. का वादीगण(सुशील कुमार, सुनील कुमार) को खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 02.12.2021 को वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं 3 का जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिशल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-[illegible]) [illegible] जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के [illegible] विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर [illegible] की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता [illegible] पैतृक सम्पंति में जन्म से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:45 IST
Reason: SelfAttested

22/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा ८८, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का विभाजन कर तहसील पीलीबंगा के चक 9 एसटीबी के प0न0 44/358(47) के कि0न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/2, 8, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 की कुल 2.520 है0 कृषि भूमि ब.हि.ब. का वादीगण (सुशील कुमार, सुनील कुमार) को व इसी प.नं. के कि.नं. 12, 13, 18, 19, 22 कुल 1.265 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 2 (विमला) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:45 IST
Reason: SelfAttested

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा